न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–749/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/815

अपीलाण्ट :–

1. पुखराज पुत्र स्व अन्नाराम सीरवी उम्र 63 वर्ष निवासी 50, राईको का बास, मानपुरा भाखरी तहसील व जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. जितेन्द्र चौधरी पुत्र पुखराज सीरवी, उम्र बालिग निवासी 50, मानपुरा भाखरी तहसील व जिला पाली (राज.) हाल निवासी बेरा राबडिया, बजरंग वाड़ी के पास, नहर पर, मानपुरा तहसील व जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती गवरी देवी पुत्री अन्नाराम सीरवी पत्नी खरताराम उम्र बालिग निवासी बजरंग वाड़ी के पास, नहर पर, मानपुरा तहसील व जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, पाली के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2/2023 पारित निर्णय दिनांक 03–07–2024

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री ज्योति कुमार शर्मा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, श्री विक्रम शर्मा विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 2

:: निर्णय ::

दिनांकः–24 अक्टूबर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी जितेन्द्र चौधरी के प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली द्वारा दिनांक 03–07–2024 को आदेश पारित किया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–07–2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

संभागीय आयुक्त,
पाली

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या1 जितेन्द्र चौधरी ने हल्का पटवारी हेमावास को रजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रतिलिपि पेश कर अपने पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त वसीयतनामा के अनुसार ग्राम मानपुरा में दिनांक 27.12.2022 को ऑनलाईन नामान्तरकरण संख्या 1176 दर्ज करवाकर अपनी टिप्पणी दिनांक 30.12.2022 को दोनो परतो में की तथा उक्त नामातरकरण में दिनांक 20.01.2023 को भू.अभिलेख निरीक्षक मण्डली द्वारा जाँच रिपोर्ट मे बताया गया कि उक्त भूमि स्व अर्जित है या पैतृक का उल्लेख वसीयतनामा में नही है एवं न ही प्रार्थना पत्र के साथ भूमि स्वअर्जित के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामांतरकरण की दो परत वसीयतनामा की प्रतिलिपि और मृतक अन्नाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र नामांतरकरण को निर्णय कराने हेतु राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में दर्ज करने की रिपोर्ट के साथ तहसीलदार पाली को पेश किया। जिस पर तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया और हल्का पटवारी को ग्राम मानपुरा में खसरा नम्बर 81 रकबा30. 10 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 5.05 बीघा, खसरा नम्बर 145 रकबा 10.08 बीघा की राजस्व रिकॉर्ड की मौका स्थिति एवं वसीयत की जाँच कर जॉच रिपोर्ट मय मृतक के कायम मुकाम हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु नोटिस जारी किये एवं पेशी तारीख 28. 02.2023 नियत की, इस आदेश दिनांक 13.02.2023 की कोई पालना ही नहीं हुई।अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट जितेन्द्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने हेतु दिनांक 15.05.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी को दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये गये।अपीलार्थी को रेस्पोडेंट जितेन्द्र के गवाहन से जिरह करने का अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 28.02.2024 व 19.03.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी रेस्पोडेंट जितेन्द्र के गवाहन से जिरह करने का अवसर नही दिया गया।अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2023 के दो प्रार्थना पत्र का निस्तारण ही नही किया और दिनांक 15.05.2023 को अपीलार्थी पुखराज की अनुपस्थिति दर्ज कर दी।अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नही किया। अपीलार्थी की बहस नही सुनी गई। बहस सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किग्राम हेमावास पटवार हल्का हेमावास के खसरा संख्या 81, 145, 149 विवादित थे और विवाद का विषय मात्र इतना सा था कि ये खसरा नम्बर की भूमि क्या अन्नाराम पुत्र धुलाराम जी की स्वअर्जित थीऔर क्या उन्हें वसीयत करने का अधिकार था और उनके द्वारा करना बतायी गयी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट जितेन्द्र के पक्ष में म्यूटेशन पारित हो सकता था। अपीलार्थी का स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य सहित कथन था कि इन खसरा संख्या 81, 145, 149 की भूमि अन्नाराम पुत्र धुलाराम जीकी स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। इस प्रकरण में विवादित खसरा संख्या 81 रकबा 79 बीघा के पूर्व खसरा संख्या 79, 78, 76, 75, 136, 135 थे। जिसके खातेदार धुला पुत्र वरदा जी उर्फ विरदा

संभागीय आयुक्त,
पाली

जी थे। जिसके प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने पेश की थी और स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया था कि इन खसरा नम्बरान 79, 78, 76, 75, 136,135 का सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा संख्या 81 हुआ था। जिसे नहीं मानने का कोई कारण व आधार नही था, योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 81 की भूमि को अन्नाराम की स्वअर्जित होना मानने के लिये अपीलाधिन आदेश में यह दर्ज कर दिया कि "बैचाननामा दिनांक 06.06.1967 अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 79 बीघा के 1/2 हिस्सा अन्ना वल्द धुला का था। जिसे दिनांक 27.07.1966 को पंजीकृत विक्रय विलेख से केवलचंद पुत्र मेघराज कौम ओसवाल काठेड को बैचान की तत्पश्चात उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 06.06.1967 से पुनः वसीयतकर्ता अन्ना पुत्र धुला कौम सीरवी द्वारा क्रय की गई। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 81 की भूमि अन्ना पुत्र धुला की स्वअर्जित होना साबित है। यह जो दर्ज किया गया वह भी तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध किया गया। इन दोनो बेचाननामों की कोई प्रतियाँ अपीलार्थी को उपलब्ध नही करवायी गयी और ये दोनो बेचाननामा की प्रतियां रेस्पोडेंट जितेन्द्र नेपत्रावली में कभी भी पेश ही नहीं की गई। सम्पूर्ण आदेशीकाओं का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि ये दोनो बैचाननामे रेस्पोडेंट जितेन्द्र ने कभी पेश ही नहीं किये उसके बावजूद इन दो बैचाननामो को आधार बना दिया और जो बैचाननामा वर्ष 1967 का दिनांक 06.06.1967 का होना बताया गया था। उस अनुसार वह संवत् 2024 का था और योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी का स्पष्ट रूप से कथन था कि सेटलमेंट का संवत् 2018 में यह जमीन बिना किसी कारण व आधार के अन्नाराम के नाम दर्ज हो गयी थी जबकि उपर उल्लेखित अनुसार यह भूमि धुला पुत्र वरदा उर्फ विरदा की थी। इन परिस्थितियो में जब अन्ना के नाम भूमि गलत रूप से दर्ज हो गयी और वह भूमि उसकी थी ही नहीं तो उसके द्वारा यह भूमि दिनांक 27.07.1966 को केवलचंद को बैचान करने से और केवलचंद द्वारा पुनः दिनांक 06.06.1967 को अन्नाराम को बैचान करने से यह भूमि अन्नाराम की स्वअर्जित नही हो जाती है उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों एवं आधार पर इस भूमि को अन्ना की स्वअर्जित भूमि होना निर्धारित कर दिया और अपीलाधिन आदेश पारित किया है जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किइसी प्रकार इस प्रकरण मे विवादित खसरा संख्या 145 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा के पूर्व खसरा संख्या 200 मिन, 203, 202, 206 थे। जिसके खातेदार धुला पुत्र वरदा जी उर्फ विरदा जी थे। जिनके प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति योग्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी और स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया था कि इन खसरा नम्बरान 200 मिन, 203, 202, 206 के सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा संख्या 145 हुआ। जिसे नहीं मानने का कोई कारण व आधार नहीं था और इस दस्तावेज से स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित था कि यह भूमि अन्नाराम की स्वअर्जित भूमि नहीं है। उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश मे यह दर्ज कर दिया कि "भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81, 149, 145 की भूमि वसीयतकर्ता अन्ना के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि अन्ना की स्वअर्जित होना साबित है यह दर्ज करने और मानने में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भूल की है, उपर उल्लेखित दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट था कि यह भूमि अन्ना

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

की स्वअर्जित नही थी बल्कि धुला पुत्र वरदा उर्फ विरदा की थी और सेटलमेंट में बिना किसी आधार के अन्नाराम का नाम दर्ज हो गया था, जिसका कोई विधिक महत्व नही था।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किइसी प्रकार इस प्रकरण में विवादित खसरा संख्या 149 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा के पूर्व खसरा संख्या 209 थे, जिसके खातेदार धुला पुत्र वरदा जी उर्फ विरदा जी थे। जिनके प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति योग्य अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी और स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया था कि इस खसरा नम्बर 209 के सेटलमेंट के पश्चात नये खसरा संख्या 149 हुआ, जिसे नहीं मानने का कोई कारण व आधार नहीं था और इस दस्तावेज से स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित था कि यह भूमि अन्नाराम की स्वअर्जित भूमि नही है। उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश में यह दर्ज कर दिया कि "भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81, 149, 145 की भूमि वसीयतकर्ता अन्ना के नाम दर्ज है, इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि अन्ना की स्वअर्जित होना साबित है" यह दर्ज करने और मानने में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भूल की है। उपर उल्लेखित दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट था कि यह भूमि अन्ना की स्वअर्जित नही थी बल्कि धुला पुत्र वरदा उर्फ विरदा की थी और सेटलमेंट मे बिना किसी आधार के अन्नाराम का नाम दर्ज हो गया था, जिसका कोई विधिक महत्व नही था।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किइस प्रकरण के विवादित खसरा संख्या 81, 145, 149 के उपरोक्त जो पुराना खसरा नम्बर थे, उन समस्त पुराने खसरा नम्बरो की भूमि के खातेदार धुला पुत्र वरदा उर्फ विरदा जी जाति सीरवी थे। संवत् 2015 से 2031 की खतोनी बंदोबस्त, पर्चा लगान संवत 2015 से 2031 तथा खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2018 में बतौर खातेदार के रूप में धुला पुत्र वरदा उर्फ विरदा जी दर्ज थे। जिनकी प्रमाणित प्रतिया अपीलार्थी ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की थी जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित था कि ये खसरा नम्बर भूमि अन्नाराम की स्वअर्जित भूमि नहीं थी और उसे वसीयत करने का अधिकार नहीं था। उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन खसरा नम्बर की भूमि को अन्नाराम की स्वअर्जित भूमि होना मानकर अपीलाधिन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया था कि बिना किसी कारण व आधार के धुला पुत्र वरदा जी उर्फ विरदा जी की पुत्री चुन्नी बाई पत्नी अन्ना जी के जीवित होते हुए भी राजस्व रिकॉर्ड में इन खसरा नम्बरान में अन्ना पुत्र धूला जी का नाम दर्ज हो गया जो विधि विरूद्ध तरिके से दर्ज हुआ था जिसका कोई विधिक महत्व नहीं था और उससे अन्नाराम को कोई स्वामित्व, स्वत्व, हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते थे और इस अन्ना का नाम दर्ज हो जाने मात्र से यह भूमि अन्ना की स्वअर्जित नही हो जाती है और उसे वसीयत करने का अधिकार नही था। इस प्रकार इस प्रकरण के विवादित खसरा संख्या 81, 149, 145 की कृषि भूमि अन्ना जी की स्व अर्जित सम्पति नही थी बल्कि उपर दर्ज अनुसार इस प्रकरण के विवादित खसरा संख्या 81, 149 व 145 की कृषि भूमि तो उपर दर्ज अनुसार धुला पुत्र विरदा उर्फ वरदा जी की खातेदारी कब्जाकाश्तशुदा थी और उपर के पद मे दर्ज अनुसार जो अन्ना पुत्र धुला राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ व अन्ना

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

किसी भी रूप में धुला जी का पुत्र नही था बल्कि धुला जीकी एकमात्र पुत्री चुन्नी बाई का पति था, जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी रूप में किसी भी आधार पर अन्ना पुत्र धुला के रूप में दर्ज नहीं हो सकता था क्योंकि धुला जी की तो एक मात्र पुत्री चुन्नी बाई थी और चुन्नी बाई का जीवित पुत्र अपीलार्थी पुखराज और चुन्नी बाई की पुत्री रेस्पोडेंट गवरी जीवित थी और जीवित हैं। इन परिस्थितियों में जो उपर उल्लेखित अनुसार धुला जी के पश्चात इस प्रकरण के वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अन्ना पुत्र धुला जी नाम दर्ज हुआ था वह गलत रूप से बिना किसी आधार के और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज हुआ था और राजस्व रिकॉर्ड मे यह जो अन्ना पुत्र धुला जी का नाम गलत रूप से बिना किसी आधार के और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज हुआ था। उसके आधार पर इन अन्ना पुत्र धुला जी जो कि धुला जी के पुत्र थे ही नहीं बल्कि धुला जी के जवाई थे। ये अन्ना तो वास्तव में गोमाजी के पुत्र थे। इस प्रकरण के विवादग्रस्त खसरा नम्बर 81, 149 व 145 की भूमि को जरिये वसीयत अथवा किसी भी रूप मे किसी भी आधार पर रेस्पोडेंट जितेन्द्र को अथवा किसी को भी अंतरण करने का अधिकार ही नही था। ये सारे तथ्य अपीलार्थी द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में जवाब और दस्तावेजो के जरिये प्रकट व प्रमाणित किये गये थे। जिन्हें नही मानने का कोई कारण व आधार सम्पूर्ण अपीलाधिन आदेश मे दर्ज नही किया और अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किधुला पुत्र वरदा जी जो इस प्रकरण के विवादित खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके एकमात्र पुत्री चुन्नी बाई जो कि अपीलार्थी पुखराज की माता थी तथा चुन्नीबाई की मृत्यु वर्ष 2016 में हो चुकी थी और चुन्नीबाई के एक पुत्र अपीलार्थी पुखराज एवं एक पुत्री रेस्पोडेंट गवरी है जो वर्तमान में जीवित है। इन परिस्थितियों मे भी इस प्रकरण के विवादित खसरा नम्बरान 81, 145, 149 की भूमि किसी भी रूप मे अन्नाराम के स्वअर्जित नही हो सकती थी। धुला पुत्र वरदा जी की मृत्यु के पश्चात उनकी वारिस उनकी पुत्री चुन्नीबाई के नाम उक्त खसरा संख्या 81, 145, 149 का नामांतरणकरण भरा जाना था, जो नही भरा गया और उपर दर्ज अनुसार बिना किसी कारण और बिना किसी आधार के और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अन्ना पुत्र धुला जी का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया जबकि यह अन्ना तो धुला जी का जवाई था। इस प्रकार त्रुटिवश धुला जी के जवाई अन्ना पुत्र गोमा जी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अन्ना पुत्र धुला दर्ज हो गया और यह भी त्रुटि से दर्ज हुआ कि अन्ना, धुला जी के पुत्र है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अन्ना तो गोमाराम जी सीरवी निवासी सापूनी के पुत्र है और धुला पुत्र विरदा उर्फ वरदा जी के जवाई है। इन तथ्यों पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौरनही किया और गलत रूप से इन खसरा नम्बरान की भूमि को अन्नाराम की स्वअर्जित भूमि होना मानकर अपीलाधिन आदेश पारित किया है जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किउपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी किसी भी रूप में किसी भी आधार पर अन्ना जी की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं थी, इस कारण भी अन्ना जी को उक्त कृषि भूमि वसीयत करने का अधिकार नहीं था और उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट जितेन्द्र चौधरी अपने पक्ष में म्यूटेशन करवाने का अधिकारी नही था। इस कारण भी इस जितेन्द्र चौधरी द्वारा तथाकथित,

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

कूटरचित फर्जी वसीयत के आधार पर जो म्यूटेशन पारित करने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, वह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। जिसे खारिज नही कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे तथ्यो एवं विधि की भूल की है।रेस्पोडेंट जितेन्द्र चौधरी द्वारा जो तथाकथित वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था, वह वसीयतनामा कूटरचित फर्जी था, जो अन्ना ने कभी भी जितेन्द्र चौधरी के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीयन नही करवाया था और कूटरचित फर्जी वसीयतनामें के आधार पर कोई म्यूटेशन इस रेस्पोडेंट जितेन्द्र चौधरी के पक्ष में पारित नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट जितेन्द्र चौधरी द्वारा जो तथाकथित वसीयतनामा बताया गया था, वह उपर दर्ज अनुसार कूटरचित फर्जी था, जो अन्ना ने कभी भी जितेन्द्र चौधरी के पक्ष मे निष्पादित करपंजीयन नहीं करवाया था और उपर दर्ज अनुसार अन्ना को उक्त वसीयतनामा करने का हक अधिकार ही नहीं था, वसीयतनामा ने बतायी गयी भूमि उपर दर्ज अनुसार अन्ना की स्व अर्जित भूमि कभी रही ही नहीं और इस भूमि पर अन्ना का कभी कब्जा रहा ही नहीं। इस भूमि पर तो धुला पुत्र विरदा उर्फ वरदा जी के साथ उनकी पुत्री चुन्नी बाई का कब्जा काश्त रहा था और धुला पुत्र विरदा उर्फ वरदा जी के स्वर्गवास के पश्चात इस भूमि पर उनकी पुत्री चुन्नी बाई का कब्जा काश्त रहा था और चुन्नी बाई के साथ चुन्नीबाई के पुत्र अपीलार्थी पुखराज व पुत्री रेस्पोडेंट गवरी का कब्जा काश्त रहा और चुन्नी बाई के स्वर्गवास के पश्चात भूमि पर अपीलार्थी पुखराज का कब्जा काश्त है। इस प्रकार इस भूमि पर अन्ना का और रेस्पोडेंट जितेन्द्र का कभी किसी रूप में, किसी भी आधार पर कब्जा नही रहा है और वर्तमान में चुन्नी बाई के पुत्र अपीलार्थी पुखराज एवं उसके वारिसान और चुन्नी बाई की पुत्री रेस्पोडेंट गवरी और उसके वारिसान भी जिन्दा है। जो तथ्य भी इस रेस्पोडेंट जितेन्द्र की जानकारी में हैए जिनको भी इस रेस्पोडेंट जितेन्द्र ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया था और योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भी इन आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किधारा 133 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम उत्तराधिकार एवं कब्जे के अंतरण की सूचना दिये जाने बाबत प्रावधान करता है और वह सूचना उस तारीख से जबकि वह उत्तराधिकार या ऐसा कब्जा प्राप्त करता है, के तीन महिनों के अंदर सूचना दिया जाना आज्ञापक है। इस प्रकरण में रेस्पोडेंट जितेन्द्र चौधरी का यह कथन था कि अन्नाराम ने उसके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की थी और अन्नाराम का दिनांक 30.01.2022 को स्वर्गवास हुआ था और उसके तीन महिने 30.04.2022 तक उसने कोई सूचना नहीं दी थी और दिनांक 30.12.2022 को उसने पटवारी हेमावास को सूचना दी थी जो स्पष्ट रूप से धारा 133 में उल्लेखित मियाद 03 महिनो के पश्चात की थी और धारा 134 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम सूचना देने में उपेक्षा करने पर शास्ती बाबत प्रावधान करता है और स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि धारा 133 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देने में उपेक्षा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकेगा। स्वीकृत रूप से रेस्पोडेंट जितेन्द्र ने धारा 133 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में उपेक्षा की थी उन परिस्थितियो परजुर्माना अधिरोपित किया जाना था जो नहीं कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश में यह दर्ज किया कि अप्रार्थी संख्या 02 रेस्पोडेंट संख्या 02 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,

मे उपलब्ध सम्पूर्ण आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 रेस्पोडेंट संख्या 02 गवरी के विरूद्ध कभी कोई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित नही किये गये थे और रेस्पोडेंट संख्या 02 गवरी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया गया। पत्रावली पर गवरी देवी के नाम के जारी नोटिस उस पर व्यक्तिगत रूप से तामिल ही नही हुए थे और उसकी तामिल कभी भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय पर्याप्त रूप से मानी ही नही थी और उसकी तामिल बाबत समुचित आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधिन आदेश पारित किया और अपीलाधिन आदेश मे भी गलत रूप से यह दर्ज कर दिया कि गवरी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रही है जिससे गवरी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री और तथ्यों के विरूद्ध गलत तथ्य दर्ज कर अपीलाधिन आदेश पारित किया है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किअपीलार्थी का जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने के पश्चात योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण कभी भी अपीलार्थी की साक्ष्य हेतु नियत ही नहीं किया और अपीलार्थी को साक्ष्य हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किया और अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट जितेन्द्र ने जिस वसीयत के आधार पर म्यूटेशन करवाना चाहा था वह वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित ही नही हुई थी और रेस्पोडेंट जितेन्द्र स्वयं ने उस वसीयत को साबित करने हेतु कोई सशपथ बयान नही दिये थे और जिन गवाहन सोहनलाल व गवाह सुरेश के बयान करवाये गये थे उसके बयानों से भी वह वसीयत साबित नही हुई थी और यहां तक की उक्त वसीयत साक्ष्य मे टेंडर ही नही हुई थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित ही नही हुई थी उसके बावजूद भी योग्य अपीलाधीन निर्णय पारित कर किया गया। अतः तहसीलदार पाली का आदेश दिनांक 03.07.2024 का अपास्त फरमान का आदेश पारित करावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

5 विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् संख्या 1 से 2 ने द्वौराने बहस अभिकथन किया किग्राम हेमावास पटवार हल्का हेमावास के खसरा संख्या 81, 145, 149 स्थित है। इस प्रकार खसरा संख्या 81, 145, 149 की भूमि अन्नाराम पुत्र धुलाराम जी की स्वअर्जित सम्पति थी व रही। इस प्रकरण में खसरा संख्या 81 रकबा 79 बीघा के पूर्व खसरा संख्या 79, 78, 76, 75, 136, 135 थे, जो सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा संख्या 81 हुआ है। उक्त भूमि अपीलाण्ट के दादाजी के स्वअर्जित भूमि थी। तत्समय अन्नाराम पुत्र धुलाराम उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार थे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली ने भी अपने निर्णय में विवेचन किया है कि "बैचाननामा दिनांक 06.06.1967 अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 79 बीघा के 1/2 हिस्सा अन्ना वल्द धुला का था। जिसे दिनांक 27.07.1966 को पंजीकृत विक्रय विलेख से केवलचंद पुत्र मेघराज कौम ओसवाल काठेड को बैचान की तत्पश्चात उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 06.06.1967 से पुनः वसीयतकर्ता अन्ना पुत्र धुला कौम सीरवी द्वारा क्रय की गई।" इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 81 की भूमि अन्ना पुत्र धुला की स्वअर्जित होना साबित है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि इसी प्रकार खसरा संख्या 145 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा के पूर्व खसरा संख्या 200 मिन, 203, 202, 206 से बना है। इन खसरा नम्बरान 200 मिन, 203, 202, 206 के सेटलमेंट के पश्चात नया

संभागीय आयुक्त,
पाली

खसरा संख्या 145 हुआ। एकीकरण विभाग राजस्थान मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81, 149, 145 की भूमि वसीयतकर्ता अन्ना के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि अन्ना की स्वअर्जित होना साबित है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किखसरा संख्या 149 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा के पूर्व खसरा संख्या 209 थे, इस प्रकार खसरा नम्बर 209 के सेटलमेंट के पश्चात नये खसरा संख्या 149 हुआ है। जो भूमि वसीयतकर्ता अन्ना के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि अन्ना की स्वअर्जित होना साबित है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि लगभग 60 वर्षो से अधिक समय से अर्थात् अपीलाण्ट्स पूखराज के जन्म से पूर्व से रस्पोडेण्ट्स जितेन्द्र व अपीलाण्ट पुखराज के पिता अन्ना के नाम दर्ज रही है। अन्ना ने अपने जीवनकाल में ही पुत्र पुखराज व पुत्री सायरी का अलग भूमि देकर उनका नाम खातेदारी में दर्ज कर नाम किया है जो खसरा नंबर 81, 81/1, 81/2 इत्यादि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट्स जितेन्द्र के दादा व अपीलाण्ट पुखराज के पिता अन्ना अपने पुत्र पुखराज से कतई खुश नही थे क्योकि पुखराज ने अपनी प्रथम विवाहित पत्नी अर्थात् जितेन्द्र की माता को छोड़ दिया था तथा दूसरी महिला से नाता विवाह कर लिया था। जितेन्द्र ने ही अपने दादा अन्ना की जीवन पर्याप्त सेवा चाकरी की थी। इसलिए पौत्र जितेन्द्र (रेस्पोडण्ट्स) की सेवा चाकरी से खुश होकर एवं स्नैहवश अपने पोत्र जितेन्द्र के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत कर उप पंजीयक कार्यालय में दर्ज करवाई। अन्ना का देहान्त दिनांक 30.01.2022 को हुआ है इसलिए वसीयत प्रभाव में आ गई है। उक्त सम्पति पैतृक सम्पति नही होकर स्व अर्जित सम्पति थी। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने न्यायिक दृष्टांत डी एन जे 2024(1) पेज नंबर 286 प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स जितेन्द्र के वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के समक्ष पेश किया। जिसकी जानकारी होने पर पुखराज ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज करवा दी। वादग्रस्त भूमि में से खसरा नंबर 81 की भूमि वर्ष 06.06.1967 में अन्ना द्वारा केवलचन्द जैन से पुनः खरीद की गई। इसलिए स्व अर्जित सम्पति हो चुकी है। वसीयत कर्ता अन्ना का नाम 60 वर्ष से भी अधिक वर्षो से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज रहा है। जिसे अपीलाण्ट पुखराज ने अपने जीवन काल में कभी चुनौती नही दी गई है, ना ही एतराज किया। अन्ना के देहान्त के बाद अपने ही पुत्र जितेन्द्र को परेशान करने की बदनीयती से यह अपील प्रस्तुत की गई है, एवं यह अपील पेश भी गई है, पुखराज ने 60 वर्षो से दर्ज खातेदार को इसलिए मान लिया कि पिता होने के कारण वह अपत्ति नही कर सका यह कथन विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के द्वौरान किया। यहा यह उल्लेखीय है कि अपीलाण्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसारestoppal के सिद्धान्त से विबन्धीत हो चुका है। अर्थात् अपीलाण्ट 60 वर्ष तक कोई विधिक कार्यवाही नही की गई। इसलिए 60 वर्ष के बाद संव्यवहार को निष्पादित करने से विबन्धीत हो चुका है। इसलिए अपीलाण्ट अब विपरीत कथन करने से भी विबन्धीत हो गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट पुखराज या अन्य द्वारा कोई ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया गया है जिससे सिद्ध होता है कि बैचाननामा दिनांक 06.06.1967 तथा बैचाननामा 27.07.1966 को निरस्त किया गया हैतथा यह वाद ग्रस्त भूमि अन्ना की स्वअर्जित भूमि नही रही हो। यदि वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा बनता है तो उक्त बैचाननामा को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाया जाना चाहिए था। लेकिन अपीलाण्ट ने ऐसी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई है। प्रार्थी यदि वसीयतसुदा भूमि में यदि अपना हक–हिस्सा होना मानते है तो उसके लिए वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। लेकिन प्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में उक्त बैचाननामा को निरस्त करने हेतु कार्यवाही नही की गई है और ना ही वादग्रस्त आराजी के घोषणा के नियमित वाद दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि के अनुसार होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब/साक्ष्य हेतु बार बार अवसर दिया गया था। अन्नाराम ने अपनी कृषि भूमि के संबंध में एक वसीयतनामा दिनांक 04.06.2021 को अपने पौत्र अप्रार्थी संख्या एक जितेन्द्र चौधरी के पक्ष में लिखवाया जाकर उप पंजीयक पाली (प्रथम) के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया जो पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 7 पृष्ठ संख्या 180 क्रम संख्या 20210347500062 पर पंजीबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वसीयत को सिद्ध करवाने हेतु जितेन्द्र की ओर से गवाह श्री सुरेश पुत्र भोमाराम व सोहनलाल पुत्र नारायणलाल के बयानो को कमलबद्ध करवाया गया। उक्त गवाहोंने कथन किया कि हम गवाहो की साख है जो सही एवं पूर्ण रूप से सत्य है। उक्त वसीयतनामा अन्नाराम ने अपनी स्वेच्छा से पूर्ण होशो हवास में हम गवाहों के सामने निष्पादित करवाया था। अन्नाराम ने उक्त वसीयतनामा अपने पोत्र जितेन्द्र चौधरी की सेवा चाकरी से खुश होकर निष्पादित करवाया था। उक्त वसीयतनामा को लिखवाया जाकर अन्नारामजी को पढ़कर सुनाया गया था। जिसे पढ़ सुनकर अन्नाराम ने हम गवाहों के सामने वसीयतनामे पर अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त वसीयतनामा पूर्णतया सही एवं सत्य है। इस प्रकार हमने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को सत्य साबित किया है। सिविल न्यायालय द्वारा ही वसीयतनामा को निरस्त कर सकते है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने डी एन जे 2024(1) पेज नंबर 286, आर आर टी 2011(2) पेज नंबर 1387, आर आर टी 2021(2) पेज नंबर 952 एवं आर आर टी 2022(2) पेज नंबर 921 प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा वसीयत को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश नही किया गया है। न ही अपने अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में कोई वाद पेश किया है। चूकि म्यूटेशन कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमे हक अधिकारो को तय नही किया जा सकता है। इसलिए अपीलाण्ट अपील में वर्णित आधार व अधिकार, नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में तय नही किये जा सकते है। इस सबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 2022 पेज नंबर 370 प्रस्तुत किया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम 92 के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के सम्यक रूप में निष्पादित होने की उपधारणा की जाती है। "जहां कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप में निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया था, जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है। "रेस्पोडेण्ट्स द्वारा क्रय की गई भूमि बाबत विक्रय विलेख 06.06.1967 को भी निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई। इसलिए उसके सही होने की उपधारणा की जाती है। इस प्रकार वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली का आदेश दिनांक 03.07.2024 विधि के अनुसार है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2023(2) पेज नंबर 1369 प्रस्तुत किया गया। अतः अपीलाण्ट की अपील व्यय सहित खारिज फरमावे।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जितेन्द्र चौधरी ने हल्का पटवारी हेमावास को रजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रतिलिपि पेश कर अपने पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त वसीयतनामा के अनुसार ग्राम मानपुरा में दिनांक 27.12.2022 को ऑनलाईन नामान्तरकरण संख्या 1176 दर्ज करवाकर अपनी टिप्पणी दिनांक 30.12.2022 को दोनो परतो में की तथा उक्त नामातरकरण में दिनांक 20.01.2023 को भू. अभिलेख निरीक्षक मण्डली द्वारा जाँच रिपोर्ट मे बताया गया कि उक्त भूमि स्व अर्जित है या पैतृक का उल्लेख वसीयतनामा में नही है एवं न ही प्रार्थना पत्र के साथ भूमि स्व. अर्जित के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामांतरकरण की दो परत, वसीयतनामा की प्रतिलिपि और मृतक अन्नाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र नामांतरकरण पर निर्णय कराने हेतु राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में दर्ज करने की रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्षकारान् को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार, पाली द्वारा प्रकरण पर निर्णय दिनांक 03.07.2024 को पारित कर रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक जितेन्द्र चौधरी के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 04. 06.2021 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि विवादग्रस्त भूमि मौजा मानपुरा के खसरा नंबर 81 रकबा 4.9372 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 149 रकबा 0.8498 हैक्टेयर किस्म किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 145 रकबा 1. 6835 किस्म बारानी दोयम भूमि वसीयतकर्ता अन्नाराम पुत्र धुलाराम जाति सिरवी की स्वअर्जित भूमि नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली द्वारा हमे सुना नही गया। जैर अपील में विवादित खसरा संख्या 81 रकबा 79 बीघा के पूर्व खसरा संख्या 79, 78, 76, 75, 136, 135 थे, जो सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा संख्या 81 हुआ

संभागीय आयुक्त,
पाली

है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली ने अपने निर्णय में विवेचन किया गया है कि अन्नाराम पुत्र धुलाराम ने दिनांक 27.07.1966 को पंजीकृत विक्रय विलेख से केवलचंद पुत्र मेघराज कौम ओसवाल काठेड को बैचान की तत्पश्चात उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 06.06.1967 से पुनः वसीयतकर्ता अन्ना पुत्र धुला कौम सीरवी द्वारा क्रय की गई। इसी प्रकार खसरा संख्या 145 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा के पूर्व खसरा संख्या 200 मिन, 203, 202, 206 से बना है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 209 के सेटलमेंट के पश्चात नया खसरा संख्या 149 हुआ है। पत्रावली पर बहस के द्वौरान अवगत कराया गया कि उक्त भूमि60 वर्ष से अधिक समय से वसीयतकर्ता अन्ना के नाम दर्ज रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली ने भी अपने निर्णय में विवेचन किया है कि उक्त भूमि अन्ना के नाम से थी। अपीलाण्ट पुखराज स्वयं भी स्व. अन्ना का जायन्दा पुत्र है। स्व. अन्ना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुखराज अपीलाण्ट के जीवन काल से पहले चला आ रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम 92 के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के सम्यक रूप में निष्पादित होने की उपधारणा की जाती है।द्वौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्वीकार किया कि स्व. अन्ना, पुखराज का पिता होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अन्ना के खातेदार अधिकार, सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नही किये गयेहै। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट कथन है किअन्नाराम पुत्र धुलाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है तथा अन्नाराम के स्थान पर चुन्नी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कथन चलने योग्य है क्योंकि अपीलाण्ट पुखराज द्वारा अपने अन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को अन्ना के जीवित रहने के द्वौरान कही चैलेन्ज नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार है।

पत्रावली में स्वीकृत तथ्य यह है कि अन्नाराम पुत्र धुलाराम द्वारा अपने पौत्र जितेन्द्र चौधरी पुत्र पुखराज के पक्ष में वसीयतमाना दिनांक 04.06.2021 को निष्पादित किया गया। उक्त वसीयतनामा को उप पंजीयक पाली (प्रथम) द्वारा पंजीबद्ध किया गया। अन्नाराम पुत्र धुलाराम का देहान्त 30.01.2022 में होने के कारण रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 जितेन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र पेश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा उक्त पंजीबद्ध वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण का आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार होने से सही है क्योंकि अन्ना द्वारा अपने स्वयं के पौत्र के पक्ष में स्वैच्छा से वसीयतनामा दिनांक 30.01.2022 को निष्पादित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त पंजीबद्ध वसीयत को निरस्त करने हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वसीयत को सिद्ध करवाने हेतु रेस्पोडेण्ट्स जितेन्द्र की ओर से गवाह श्री सुरेश पुत्र भोमाराम व सोहनलाल पुत्र नारायणलाल के बयानो को कमलबद्ध करवाया गया। उक्त गवाहों ने कथन किया कि हम गवाहो की साख है जो सही एवं पूर्ण रूप से सत्य है।अपीलाण्ट द्वारा उक्त पंजीबद्ध वसीयत को निरस्त करने हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है।पक्षकारों के अधिकार नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारित नही किये जा सकते है। क्योंकि नामांतरकरण एक फिक्सल प्रोसेंडिग है। अपीलाण्ट घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03/07/2024 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुना गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने हेतु विधि अनुसार अवसर प्रदान किये गये। ऐसी

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली जिला पाली के राजस्व विविध मु.सं. 2/2023 उनवान जितेन्द्र चौधरी बनाम मृतक अन्नाराम के कायम मुकाम निर्णय दिनांक 03.07.2024 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पाली राजस्व विविध मु.सं. 2/2023 उनवान जितेन्द्र चौधरी बनाम मृतक अन्नाराम के कायम मुकाम निर्णय दिनांक 03.07.2024 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली